न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर के समक्ष

राजेन्द्र शर्मा-याचिकाकर्ता

बनाम

मेसर्स तन्मय डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड— उत्तरदाता

2019 का सीआर नं. 4079

04 दिसंबर, 2019

अ. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-धारा 34 (2) (अ) और (5)-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- आदेश 41 नियम. 22- प्रतिवादी द्वारा मध्यस्थता पुरस्कार की आपत्तियां- जवाब को दायर करने के साथ साथ दावेदार/याचिकाकर्ता ने प्रति आपत्तियां दाख्िाल की – उतरदाता ने याचिकाकर्ता के जवाब के प्रतयुतर को दाखिल करने के लिये अनूमति मॉगी –वाणिज्यिक अदालत ने नोटिस जारी किए बिना अनुमति दी- साथ साथ पक्षकारों को अभिवचन के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया-दोनों आदेशों को दावेदार/याचिकाकर्ता द्वारा पुनरीक्षण में चुनौती दी गई-प्रतिवादी का तर्क है कि आपत्तियों के समर्थन में शपथ पत्र आवश्यक है, स्वीकार नहीं किया गया-माना गया कि धारा 34 (2) (अ) के तहत आवेदन/आपत्तियों को दायर करते समय रिकॉर्ड से परे कुछ भी आवश्यक नहीं है।

जब तक कि निंधारित किया जाने वाला मुददा अभिलेख में शामिल ना हो-शपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता सम्बन्ध्ति पक्ष्ा द्वारा तय की जायेगी – जैसा कि अवार्ड को चुनौती देने वाला पक्ष ही जानता है कि यह अभिलेख से परे सामग्री के आधार पर विवादित है या नहीं – तथ्यो पर वाणिज्यिक अदालत के शपथ पत्र को दाखिल करने के आदेश को बिल्कुल आवश्यक नहीं माना गया क्योंकि उतरदाता ने रिर्काड में शामिल नहीं सामग्री के आधार पर अवार्ड को दरकिनार करने की प्रार्थना नहीं की थी

इसलिये माना गया कि एकमात्र निष्कर्ष जो निकाला जा सकता है, वह यह है कि यह संबंधित पक्ष को निर्धारित करना है कि उन्हें हलफनामा दायर करना है या नहीं, क्योंकि अकेले पक्षकार को ही पता है कि वे रिकॉर्ड से परे सामग्री के आधार पर पुरस्कार को दरकिनार करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं। (अनुच्छेद 10)

आगे यह अभिनिर्धारित किया कि यह न्यायालय ही है जिसने पक्षकारों को अभिवचनों के समर्थन में अपना शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया, जो बिल्कुल आवश्यक नहीं था क्योंकि यह उत्तरदाता का मामला नहीं है कि सामग्री जो अभिलेख में नहीं थी के आधार पर अवार्ड को दरकिनार करने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। (अनुच्छेद 11)

ख. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-धारा 34 (2) (क) और (5)-

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015- आदेश 6 नियम . 3-अ और 15-अ, आदेश 9 नियम 3- प्रतिवादी द्वारा मध्यस्थता पुरस्कार की आपत्तियां- जवाब को दायर करने के साथ साथ दावेदार/याचिकाकर्ता ने प्रति आपत्तियां दाखिल की – उतरदाता ने याचिकाकर्ता के जवाब के प्रतयुतर को दाखिल करने के लिये अनूमति मॉगी –वाणिज्यिक अदालत ने नोटिस जारी किए बिना अनुमति दी- साथ साथ पक्षकारों को अभिवचन के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया-दोनों आदेशों को दावेदार/याचिकाकर्ता द्वारा पुनरीक्षण में चुनौती दी गई- उत्तरदाता का तर्क है कि मामले को 2015 के अधिनियम शपथ पत्र को दाखिल करनेकी आवश्यकता के अनुसारआगे बढाया जाये स्वीकार नहीं किया गया माना गया आदेश 6 नियम 3 के प्रावधान अ और 2015 के अधिनियम 15 अ 1996 की धाराके तहत दरखास्त और आपत्त्यिों पर लागू नहीं होते हैं 2015 के नियम के अनुसार केवल अभिवचनों को शपथ पत्र के द्वारा सत्यापित करने की आवश्यकता होती है- वह भी एक वाद में – धारा 34 के तहत दरखास्त ना तो दलील है ना ही वाद है- नियम1996 की धारा 34 5 के तहत दूसरे पक्ष को पूर्व सूचना जारी किये जाने के प्रमाण में हलफनामा दाखिल करना आवश्यक है - धारा 34 के तहत दरखास्त के साथ शपथ्ा पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है पक्ष्ा को प्रतिउतर दाखिल करनेकी इजाजत देने से पहले सूचना या सुनवाइॅ की आवश्यकता नहीं है

यह अभिनिर्धारित किया गया कि आदेश 6 में नियम 3-अ और नियम 15- अ को सम्मिलित करने के लिए वाणिज्यिक विवाद से संबंधित अभिवचनों के सत्यापन निस्संदेह सही है, लेकिन यह 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन पर लागू नहीं होती है, क्योंकि 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन न तो अभिवचन है और न ही एक वाद है, जबकि उपरोक्त संशोधनों के लिए केवल अभिवचनों को सत्यापित करने की आवश्यकता है और वह भी एक वाद में।

(अनुच्छेद 12)

आगे अभिनिर्धारित किया कि उत्तरवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि चूंकि मामला एक वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष लंबित है और इसलिए, मामले को केवल वाणिज्यिक न्यायालय के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है, उपरोक्त चर्चा को देखते हुए मदद नहीं करेगा कि अभिवचनों के साथ एक शपथ पत्र को दाखिल करने के उक्त प्रावधान एक वाद पर लागू होंगा और धारा 34 के तहत किए गए आवेदन पर नहीं और वर्तमान मामला एक आवेदन से संबंधित है न कि एक वाद से। (अनुच्छेद 14)

आगे कहा कि, वास्तव में, 1996 के अधिनियम की धारा 34 (5) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि एक शपथ पत्र केवल इस प्रमाण के रूप में दायर किया जाना चाहिए कि दूसरे पक्ष को पूर्व सूचना जारी की गई है। यदि 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन के साथ शपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता होती, तो उसे उक्त धारा में शामिल किया जाता। (अनुच्छेद 15)

याचिकाकर्ता की आ ेर से एस.के गर्ग नरवाना, वरिष्ठ अधिवक्ता

मुकेश राव और जपजीत सिंह जौहल, अधिवक्तागण-के साथ

उत्तरदाता की आ ेर से शेखर वर्मा,अधिवक्ता

न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर

(1) वर्तमान पुनरीक्षण दिनांक 31.10.2018 के आदेश को दरकिनार करने के लिए दायर किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता (प्रतिवादी) की ओर से प्रत्युत्तरक दाखिल करने की अनुमति मांगने वाले आवेदन को अनुमति दी गई थी, साथ ही अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-सह-पीठासीन न्यायाधीश, गुरुग्राम में विशेष वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित 02.04.2019 और 16.05.2019 के आदेश को भी दरकिनार करने के लिये दायर किया गया है । जिसमें पक्षों को दलीलों के समर्थन में उचित शपथ पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

(2) उत्तरदाता द्वारा भुगतान की जाने वाली 35.13 करोड़ रूपये की राशि के लिये दिनांक 12.12.2017 को एक पुरस्कार पारित किया गया।

(3) उत्तरदाता ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में, '1996 अधिनियम') की धारा 34 के तहत इस आधार पर एक आवेदन के माध्यम से पुरस्कार पर आपत्तियां दायर कीं कि अवार्ड अत्यधिक पारित किया गया है और विद्वान एकमात्र मध्यस्थ की ओर से अधिकार क्षेत्र का अनुचित प्रयोग है। दावेदार-याचिकाकर्ता ने उक्त आवेदन को खारिज करने का अनुरोध करते हुए उपरोक्त आवेदन पर अपना जवाब दिनांक 04.07.2018 को दाखिल किया । दावेदार-याचिकाकर्ता ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 22 (संक्षेप में, 'सी. पी. सी.') के तहत अपनी प्रति-आपत्तियां भी दाखिल कीं। प्रति-आपत्तियों को खारिज करने के लिए एक आवेदन भी दाखिल किया गया था । तदनुसार, उत्तरवादी ने याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति देने के लिए एक आवेदन दायर किया। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-सह-पीठासीन न्यायाधीश, विशेष वाणिज्यिक न्यायालय, गुरुग्राम ने प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए आवेदन की अनुमति दी और दिनांक 02.04.2019 के आदेश के माध्यम से और फिर 16.05.2019 को पक्षों को अभिवचनों के समर्थन में उचित शपथ पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

(3) दिनांक 31.10.2018, 02.04.2019 और 16.05.2019 के आदेशों को दरकिनार करने के लिए प्रार्थना करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने निम्नानुसार प्रस्तुत कियाः

(क) कि न्यायालय अपने समक्ष प्रश्न का न्यायनिर्णयन करने के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश नहीं दे सकता है और किसी भी परिस्थिति में, न्यायालय धारा 34 के तहत आवेदन में किसी भी चीज़ के बारे में साक्ष्य या शपथ पत्र नहीं ले सकता है;

(न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर)

(क) 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन एक वाद नहीं है और केवल एक आवेदन है। इसलिए, किसी शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है।

(ख) एक पक्ष द्वारा केवल वही प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो मध्यस्थ के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है और केवल असाधारण मामलों में;

(घ) उसके तर्क का समर्थन करने के लिए अदालत के मामले एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड बनाम गिरधर सोंधी (2018) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा रखा गया था।

(ङ) प्रत्युत्तर दाखिल करने का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता था और वह भी याचिकाकर्ता को प्रत्युत्तर दाखिल करने की मांग करने वाले आवेदन का जवाब दाखिल करने का कोई अवसर दिए बिना क्योंकि 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन एक मुकदमा नहीं है और कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता है।

(च) प्रत्युत्तर/प्रतिकृति को केवल सी. पी. सी. के आदेश 8 नियम 9 और सी. पी. सी. के आदेश 8 नियम 9 के तहत दीवानी मुकदमे में दायर करने की अनुमति दी जा सकती है और सी. पी. सी. 1996 अधिनियम की धारा 34 के तहत आयोजित कार्यवाही पर लागू नहीं था।

(छ) शपथ पत्र दाखिल करने को समाप्त करने के पीछे का उद्देश्य 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन पर निर्णय लेने में देरी को कम से कम करना था।

(4) दूसरी ओर, उत्तरदाता के विद्वान वकील ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (संक्षेप में, '2015 अधिनियम') के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि आदेश 6 में, नियम 3 के बाद, नियम 3-अ डाला गया है, जो एक विशेष रूप में अभिवचनों को प्रदान करता है और नियम 15 के बाद, नियम 15-अ डाला गया है, जिसके लिए वाणिज्यिक विवाद में अभिवचनों को अनुसूची में निर्धारित तरीके से एक हलफनामे द्वारा सत्यापित करने की आवश्यकता होती है। पहली अनुसूची, आदेश 6, नियम 15-अ और आदेश 11, नियम 3 के अनुसार, 'परिशिष्ट I' में शपथ पत्र के रूप में उक्त घोषणा के अवलोकन से पता चलता है कि यह केवल दलीलों को सत्यापित करने के लिए है और इससे अधिक कुछ नहीं। इसका मतलब कोइॅ सबूत या सबूत पेश करना नहीं है । दूसरा, चूंकि मामला वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष लंबित है, इसलिए मामले को 2015 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ाना होगा। विद्वान वकील ने 1996 के अधिनियम की धारा 34 की उप धारा (5) का भी उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि एक आवेदन के साथ एक हलफनामा होना आवश्यक था।

(5) पक्षों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना गया।

(6) निर्णय लेने के लिए, 1996 के अधिनियम की धारा 34 को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो निम्नानुसार हैः-

"34. मध्यस्थता पुरस्कार को दरकिनार करने के लिए आवेदन।—(1)

मध्यस्थ निर्णय के विरुद्ध न्यायालय का सहारा केवल उप-धारा (2) और उप-धारा (3) के अनुसार ऐसे फैसले को दरकिनार करने के लिए आवेदन द्वारा लिया जा सकता है।

(2) एक मध्यस्थता अर्वाड को न्यायालय द्वारा केवल तभी दरकिनार किया जा सकता है जब -

(क) आवेदन करने वाला पक्ष इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि-

(i) कोई पक्ष किसी असमर्थता में था, या

(ii) मध्यस्थता समझौता उस कानून के तहत मान्य नहीं है जिसके अधीन पक्षों ने इसे किया है या उस पर कोई संकेत देने में विफल रहने पर, उस समय लागू कानून के तहत; या

(iii) आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थ की नियुक्ति या मध्यस्थता कार्यवाही की उचित सूचना नहीं दी गई थी या अन्यथा वह अपना मामला पेश करने में असमर्थ था; या

(iv) मध्यस्थता पुरस्कार मध्यस्थता प्रस्तुत करने की शर्तों के भीतर आने वाले या ना आने वाले किसी ऐसे विवाद से संबंधित है या मध्यस्थता के अधीन होने के दायरे से परे मामलो के निर्णय पर शामिल हैं

बशर्ते कि, यदि मध्यस्थता को प्रस्तुत मामलों पर निर्णयों को इस प्रकार प्रस्तुत नहीं किए गए मामलों सम अलग किया जा सकता है मध्यस्थता पुरस्कार का केवल वह हिस्सा को जिसमें मध्यस्थता के लिये प्रस्तुत नहीं किए गए मामलों पर निर्णय शामिल हैं को अलग रखा जा सकता है; या

(v) मध्यस्थता न्यायाधिकरण की संरचना या मध्यस्थता प्रक्रिया पक्षकारों के समझौते के अनुसार नहीं थी, जब तक कि ऐसा समझौता इस भाग के किसी प्रावधान के साथ विरोध में नहीं था जिससे पक्षकार इसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं,

(ख) न्यायालय ने पाया कि -

(i) विवाद का विषय फिलहाल लागू कानून के तहत मध्यस्थता द्वारा निपटान करने में सक्षम नहीं है, या 28

(ii) मध्यस्थता निर्णय भारत की सार्वजनिक नीति के विरूद्द है।

[स्पष्टीकरण 1-किसी भी संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत केवल तभी है, जब -

(i) पुरस्कार का निर्माण धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित था या धारा 75 या धारा 81 का उल्लंघन था; या

(ख) यह भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन है; या

(iii) यह या न्याय की नैतिकता की सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ टकराव में है।

स्पष्टीकरण 2-संदेह से बचने के लिए, परीक्षण कि क्या भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन हुआ है, विवाद के गुण-दोष पर समीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी]

[(2ए) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थताओं के अलावा अन्य मध्यस्थताओं से उत्पन्न होने वाले मध्यस्थता पुरस्कार को भी न्यायालय द्वारा दरकिनार किया जा सकता है, यदि न्यायालय को लगता है कि पुरस्कार के मुख पर अवैध रूप से प्रदर्शित होने वाले पेटेंट द्वारा पुरस्कार को महत्व दिया गया हैः

बशर्ते कि कोई पुरस्कार केवल कानून के गहन अनुप्रयोग के आधार पर या साक्ष्य के पुनसराहना के आधार पर दरकिनार नहीं किया जाएगा।]

(3) अलग रखने के लिए आवेदन उस तारीख से, जिस दिन आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थता पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तीन महीने बीत जाने के बाद नहीं किया जा सकता है, या यदि धारा 33 के तहत अनुरोध किया गया , उस तारीख से जिस दिन मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा निपटारा किया गया थाः

बशर्ते कि यदि न्यायालय संतुष्ट है कि आवेदक को तीन महीने की उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह तीस दिनों की आगे की अवधि के भीतर आवेदन पर विचार कर सकता सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं

(4) उप-धारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, न्यायालय, जहां यह उचित हो और किसी पक्ष द्वारा ऐसा अनुरोध किया गया हो , मध्यस्थता न्यायाधिकरण को मध्यस्थता कार्यवाही को फिर से शुरू करने का अवसर देने के लिए अपने द्वारा निर्धारित समय के लिए कार्यवाही को स्थगित कर सकता है या

मध्यस्थ न्यायाधिकरण की राय में ऐसी अन्य कार्रवाई मध्यस्थ पुरस्कार को रद्द करने के आधार को समाप्त कर देगी।

[(5) इस धारा के तहत एक आवेदन एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को पूर्व सूचना जारी करने के बाद ही दायर किया जाएगा और इस तरह के आवेदन के साथ आवेदक द्वारा उक्त आवश्यकता के अनुपालन का समर्थन करने वाला एक शपथ पत्र संल्गन किया जायेगा ।

(6) इस धारा के तहत एक आवेदन का शीघ्रता से और किसी भी स्थिति में, उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर निपटान किया जाएगा जिस दिन उप-धारा (5) में निर्दिष्ट सूचना दूसरे पक्ष को दी जाती है।]"

(7) उपरोक्त पुनरुत्पादित धारा 34 के अवलोकन से यह स्पष्ट है किः

(क) पुरस्कार को दरकिनार करने के लिए आवेदन किया जा सकता है;

(ख) उक्त पुरस्कार को केवल तभी दरकिनार किया जा सकता है जब पक्ष धारा 34 (2) (अ) में उल्लिखित आधारों का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए आवेदन करता है;

(ग) आवेदन की पूर्व सूचना दूसरे पक्ष को जारी की जानी चाहिए;

(घ) उक्त आवेदन के साथ एक शपथ पत्र होना चाहिए और उक्त शपथ पत्र केवल इस हद तक होगा कि पूर्व सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता का पालन किया जाना चाहिए और 1996 की धारा 34 के तहत उक्त आवेदन पर एक वर्ष के भीतर निर्णय होगा।

(ङ) उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि धारा 34 के तहत आवेदन के साथ दायर किए जाने वाले किसी भी हलफनामे का कोई उल्लेख नहीं है, सिवाय इसके कि धारा 34 के तहत आवेदन दायर करने से पहले अग्रिम सूचना दी गई थी।

(8) इसलिए, प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील के इस तर्क का कि एक पक्ष को पुरस्कार को रद्द करने के लिए 1996 के अधिनियम की धारा 34 की धारा 2 (अ) में उल्लिखित प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, इसका मतलब है कि एक हलफनामा अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

एम के ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उत्तर दिया गया (उपर्युक्त) यह अभिनिर्धारित करते हुए कि 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन दायर करते समय अभिलेख से परे कुछ भी आवश्यक नहीं है, जब तक कि एक मुद्दा जो निर्धारित किया जाना आवश्यक है, अभिलेख में निहित नहीं है। तभी दोनों पक्षों द्वारा शपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता होती है।

उक्त निर्णय के पैरा 21 में कहा गया हैः- "21 इस प्रकार यह देखा जाएगा कि मध्यस्थता विवादों का त्वरित समाधान 1996 के अधिनियम को लागू करने का कारण रहा है, और उपरोक्त उद्देश्य को मजबूत करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन जोड़ने का कारण बना हुआ है। स्पष्ट रूप से, यदि मुद्दों को तैयार किया जाता है और धारा 34 के तहत संक्षिप्त कार्यवाही में मौखिक साक्ष्य लिया जाता है, तो यह उद्देश्य विफल हो जाएगा। यह भी चर्चा में है कि यदि 2018 का बिल No.100 पारित हो जाता है, तो धारा 34 आवेदन के इस चरण में साक्ष्य को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। कानून की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, हमारा विचार है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के दो प्रारंभिक निर्णय, जो हमारे द्वारा यहाँ ऊपर उद्धृत किए गए हैं, धारा 34 (2) (ए) के तहत सबूत प्रस्तुत करने के बारे में कानून की स्थिति को सही ढंग से दर्शाते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय (ऊपर) भी ऐसा ही है। हम यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि यदि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले (उपरोक्त) द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का पालन किया जाना है, तो उल्लंघन के अधिकांश मामलों में केवल एक वर्ष की समय सीमा का पालन किया जाएगा। इसलिए हम उक्त निर्णय को खारिज करते हैं। हम यह देखने के लिए विवश हैं कि फिज़ा डेवलपर्स (उपरोक्त) सही दिशा में एक कदम था क्योंकि इसका अंतिम अनुपात यह है कि धारा 34 आवेदन की सुनवाई के चरण में मुद्दों को उठाने की आवश्यकता नहीं है, जो कि एक संक्षिप्त प्रक्रिया है। हालाँकि, इस निर्णय को अब धारा 34 (5) और 34 (6) में किए गए संशोधन के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए पढ़ें, हम यह कहते हुए कानूनी स्थिति को स्पष्ट करते हैं कि मध्यस्थता पुरस्कार को दरकिनार करने के लिए एक आवेदन के लिए सामान्य रूप से मध्यस्थ के समक्ष रिकॉर्ड से परे कुछ भी आवश्यक नहीं होगा। हालाँकि, यदि ऐसे मामले ऐसे रिकॉर्ड में निहित नहीं हैं, और धारा 34 (2) (अ) के तहत उत्पन्न होने वाले मुद्दों के निर्धारण के लिए प्रासंगिक हैं, तो उन्हें दोनों पक्षों द्वारा दाखिल शपथ पत्रों के माध्यम से न्यायालय के ध्यान में लाया जा सकता है। शपथ-पत्रों की शपथ लेने वाले व्यक्तियों से जिरह की अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो, क्योंकि दोनों पक्षों द्वारा दायर शपथ-पत्रों को पढ़ने पर सच्चाई सामने आएगी। इसलिए, हम दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हैं और दिनांक 22.09.2016 के विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के फैसले को बहाल करते हैं। तदनुसार याचिका की अनुमति बिना लागत मूल्य के आदेश के दी जाती है ।

(9) फैसले के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि

(क) आम तौर पर एक शपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होती है;

(ख) यदि पक्ष अभिलेख से परे कुछ हलचल करना चाहता है तो इसे दायर करने की आवश्यकता होती है।

(ग) शपथ पत्र की शपथ लेने वाले सभी व्यक्तियों की प्रतिपरीक्षा की अनुमति आम तौर पर तब तक नहीं दी जाती जब तक कि आवश्यक न हो, जिसका अर्थ है कि कुछ मामलों में इसकी अनुमति दी जा सकती है जहां यह अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा, शपथ पत्र अपने आप में पर्याप्त है।

(10) इसलिए, एकमात्र निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि यह संबंधित पक्ष को निर्धारित करना है कि उन्हें शपथ पत्र दाखिल करना है या नहीं, क्योंकि अकेले पक्ष को पता है कि वे अभिलेख से परे सामग्री के आधार पर पुरस्कार को दरकिनार करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं।

(11) वर्तमान मामले में, यह न्यायालय ही है जिसने पक्षों को अभिवचनों के समर्थन में अपना हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जो बिल्कुल आवश्यक नहीं था क्योंकि यह उत्तरवादी का मामला नहीं है कि वे अभिलेख में निहित सामग्री के आधार पर पुरस्कार को अलग करने के लिए प्रार्थना कर रहे थे।

(12) उत्तरवादी के लिए विद्वान वकील का यह निवेदन कि आदेश 6 में नियम 3-अ को शामिल करने और नियम 15-अ को शामिल करने के लिए वाणिज्यिक विवाद से संबंधित अभिवचनों के सत्यापन की आवश्यकता होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, सही है लेकिन यह 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन पर लागू नहीं होता है, क्योंकि 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन न तो अभिवचन है और न ही एक वाद है, जबकि उपरोक्त संशोधनों के लिए केवल अभिवचनों को सत्यापित करने की आवश्यकता होती है और वह भी एक मुकदमे में। परिशिष्ट I, जो शपथ पत्र है लेकिन जिसे 'सत्य का कथन' (पहली अनुसूची, आदेश 6, नियम 15-अ और आदेश 9 नियम 3 के तहत) के रूप में संदर्भित किया गया है, पहले कॉलम में निम्नानुसार उल्लेख किया गया हैः

"1. मैं उपरोक्त मुकदमे में पक्षकार हूं और इस शपथ पत्र की शपथ लेने के लिए सक्षम हूं।"

(13) इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आवेदन एक मुकदमे में दायर किया जाना आवश्यक है।सीमा अधिनियम, 1963 के अनुसार मुकदमे की परिभाषा निम्न प्रकार से हैः-

"2. परिभाषाएँ -इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो,--

(अ) से (k) XXX XXX XXX

(l) "वाद" में कोई याचिका या आवेदन शामिल नहीं है;

(14) प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि चूंकि मामला एक वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष लंबित है और इसलिए, मामले को केवल वाणिज्यिक न्यायालय के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है, उपरोक्त चर्चा को देखते हुए मदद नहीं करेगा कि अभिवचनों के साथ एक शपथ पत्र को दाखिल करने के उक्त प्रावधान एक वाद पर लागू होंगा और धारा 34 के तहत किए गए आवेदन पर नहीं और वर्तमान मामला एक आवेदन से संबंधित है न कि एक वाद से।

(15) वास्तव में, 1996 के अधिनियम की धारा 34 (5) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि एक शपथ पत्र केवल इस प्रमाण के रूप में दायर किया जाना चाहिए कि दूसरे पक्ष को पूर्व सूचना जारी की गई है। यदि 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन के साथ शपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता होती, तो उसे उक्त धारा में शामिल किया जाता।

(16) हालाँकि, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क कि प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए आवेदन को उसे जवाब दाखिल करने का अवसर दिए बिना अनुमति दी गई थी, योग्यता से रहित है, क्योंकि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता किसी भी प्रावधान या नियम को इंगित करने में सक्षम नहीं हैं कि 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन पर जवाब दाखिल करने की आवश्यकता है। इसके बावजूद, उनके द्वारा एक जवाब दाखिल किया गया है। उसी सादृश्य को अपनाते हुए, याचिकाकर्ता को उक्त उत्तर पर प्रत्युत्तर दाखिल करने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है और इसलिए, उत्तर को अभिलेख में रखने/दाखिल करने के लिए अनुरोध करने वाले आवेदन के लिए नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं था।

(17) अंततः आदेश को समाप्त करने से पहले, यह न्यायालय इस मामले में निर्णय लेने के लिए विवाद का अवलोकन करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। यदि अनुसूची के तहत परिशिष्ट I के अनुसार एक वाद में शपथ पत्र की आवश्यकता की जांच की जाती है, तो यह आवेदन में दिए गए कथनों के समर्थन में केवल एक शपथ पत्र के बराबर है। इसलिए, यह न्यायालय आवेदन की सामग्री के सत्यापन के लिए उक्त शपथ पत्र की मांग करने वाले न्यायालय में विरोधी पक्ष को कोई नुकसान या शिकायत नहीं देखता है, विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता द्वारा इस आपत्ति को उठाने से केवल मामले में देरी हुई है

और यह स्वयं याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क के विपरीत है कि उक्त शपथ पत्र दाखिल करना 1996 के अधिनियम और धारा 34 के उद्देश्य के खिलाफ है, जो चाहता है या निर्धारित करता है कि धारा 34 के तहत आवेदन पर एक वर्ष के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता तकनीकी रूप से सही हो सकते हैं लेकिन अन्यथा, यह केवल आवेदन की सामग्री को सत्यापित करने वाला एक शपथ पत्र है।

(18) हालाँकि, उसके बावजूद, यह न्यायालय जो कुछ भी महसूस करता है, उपरोक्त चर्चा को देखते हुए कानून के अनुसार निर्णय लेना बाध्य और आवश्यक है। तदनुसार, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और निम्नानुसार के रूप में निपटाया गया है।

इसके अंतर्गतः

1. 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन के साथ कोई शपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि एक शपथ पत्र केवल उस हद तक दाखिल किया जाना चाहिए जब अग्रिम सूचना देने की आवश्यकता का पालन किया गया हो। इसलिए, 02.04.2019 और 16.05.2019 दिनांकित आदेशों को निरस्त कर दिया जाता है।

2. एक शपथ पत्र केवल उस स्थिति में दाखिल करने की आवश्यकता होती है जब सामग्री को रिकॉर्ड से परे सामग्री से साबित करना होता है।

3. इसलिए, यह पक्ष को निर्धारित करना है कि उन्हें परिस्थितियों में शपथ पत्र दाखिल दायर करने की आवश्यकता है या नहीं।

4. किसी पक्ष को प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति देने से पहले किसी सूचना या सुनवाई की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे केवल मामले में और देरी होगी, जो त्वरित निपटान की आवश्यकता वाले अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत है

त्रिभुवन दहिया

अस्वीकरण :-

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिये है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके आ ैर किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक आ ैर आधिकारिक उददेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेजी संस्करण् प्रमाणिक होगा आ ैर निष्पादन आ ैर कार्यानवन के उददेश्य के लिये उपयुक्त रहेगा ।

राम गोपाल